


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नया अंक हुक्म नं
25 ⁰⁷ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई। गरीब लक्षणात्मक उपस्थित। श्रीमन् पीठासीन महोदय को पत्र देकर, ... 12-25 ... 81</p> <p>बात: पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 09 को पेश हो। 12-25</p>	
12/9/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। सर्व प्रार्थी के पत्रों की ओर से मूल वाद में वकाजतनामा वकील श्री जीतकमल सिंघानी ने पेश किया। वदल सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 29/09/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">12/9/25</p>	
29/9/25	<p>पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित। वदल प्रकार प/स 212 RT Act न. W. O. 39 R132 Cpc के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उचलोध रिपोर्ट का प्रस्तुत किया गया। वर्तमान जमावंडी खेत 2034-37 के अनुसार वदल आरक्षी खाता 56 कि. 7 ख. 7.0440 ha. प्राथमिकता 14 के साथ साथ प्रार्थी 20 3 के बादलान के खेत वर्ज है। सहयोगी दौशियाबाई, नंदकुंवर को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने पर भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसी प्रकार खाता 133 कि. 1 ख. 1.7073 ha. के सहयोगी दौशियाबाई, नंदकुंवर, प्रेमकुंवर को necessary होने पर भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। निस (suit) जायर होने के बाद प्राथमिकता द्वारा वर्ष 2021, 2022, 2023 बैचान/दान किये हैं।</p>	



सारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही या मय इतिहास का नाम	नम्बर व सारीख अदालत जो इस हुकम की सारीख में जारी हुए
	<p>पिछले नाम 0 407, 410 दफा रोज पर भी court की जानकारी में नहीं लाकर facts की छुपाना करना है (unclean hands) प्रार्थना व अन्य लखनपुर, Recorded Co- tenants है। उपरोक्त दरमानी के आधार पर अप्रार्थित का लड़कन भूमि पर कोई हक व अधिकार होने जाहे नहीं होता है और बिना किसी विधि प्रधिकार (lawful authority) के अवरन करना अतिक्रम माना जावेगा और ऐसे अतिक्रम से प्रार्थित के अधिकारी का उखलान होगा परिक्रमः अपुरणीय हानि कारित हो सकती है।</p> <p>उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थित का प्रॉपर्टी अक्ट 1952 का स्वीकार किए आकर अप्रार्थित को धरिरे अर्थात् निषेधा तर्फे लखनपुर इस आशय से पाबंद किया जाता है कि वे बिना किसी विधि प्रधिकार (without lawful authority) के अवरन करना नहीं करे। अप्रार्थित, मनीष RAA Kot के समक्ष अपील करने हेतु लखन है। यथावली पैसल सुमा होकर नम्बर से कम होकर मूल्य के साथ लखन है।</p>	




 29/9/23
 उपखण्ड अधिकारी
 पिठावा, जिला झांझावाड़ (राज.)